रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 29, 2003/ज्येष्ठ 8, 1925
No. 86] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 29, 2003/JYAISTHA 8, 1925

भारतीय रिज़र्व बैंक

(औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 30 अप्रैल, 2003

सं. औनिऋवि./1/08.15.01/2002-03.—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45जे, 45के और 45एल द्वारा प्रदत्त तथा इस संबंध में अधिकृत करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट हो जाने के बाद कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा निर्देश देता है कि दिनांक 23 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं. औनिऋवि./3/08.15.01/2001-02 द्वारा निर्गत "वाणिज्यिक पत्र जारी करने के संबंध में दिशानिर्देश" 29 अप्रैल, 2003 से निम्न प्रकार संशोधित हो जाएंगे:—

पैराग्राफ 18 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ आ जाएगा :

स्टैंडबाइ सुविधा

चूंकि वाणिज्यिक पत्र 'स्टैंड एलोन' प्रॉडक्ट है, इसलिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए किसी भी रूप में यह आवश्यक नहीं होगा कि वे वाणिज्यिक पत्र जारी करने वालों को स्टैंडबाइ सुविधा प्रदान करें। तथापि, बैंक और वित्तीय संस्थाएं अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर, अपने निदेशक मंडलों के विशिष्ट अनुमोदन से तथा विवेकपूर्ण मानदंडों की शर्तों के अंतर्गत, वाणिज्यिक पत्र जारी करने हेतु स्टैंडबाइ सहायता/ऋण, बैक स्टॉप सुविधा इत्यादि के रूप में, साखवृद्धि कर सकती हैं। वाणिज्यिक पत्र जारी करने हेतु साखवृद्धि के लिए कार्पोरेट सहित गैर-बैंक संस्थाएं भी शर्तरहित और अप्रतिसंहरणीय गारंटी प्रदान करें, लेकिन इसके साथ निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

(i) वाणिज्यिक पत्र जारी करने वाला वाणिज्यिक पत्र जारी करने के संबंध में निर्धारित किए गए मानदंडों को पूरा करता हो;

(ii) गारंटी देने वाले को, किसी अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग संस्था ने ऐसी क्रेडिट रेटिंग दी हो जो निर्गमकर्ता की तुलना में कम से कम एक श्रेणी बेहतर हो; और

(iii) वाणिज्यिक पत्र जारी करने के प्रस्तावित दस्तावेज में, गारंटी देने वाली कंपनी की निवल संपत्ति, उन कंपनियों के नाम जिन्हें गारंटी देने वाली कंपनी ने इसी तरह की गारंटी दे रखी है, गारंटी देने वाली कंपनी ने कितनी राशि के लिए गारंटी दे रखी है और किन परिस्थितियों में गारंटी प्रवर्तित की जाएगी, का विधिवत् उल्लेख हो।

वाई. एस. पी. थोरात, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन/III/IV/38/2003/असा.]

RESERVE BANK OF INDIA

(Industrial and Export Credit Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th April, 2003

No. IECD/1/08.15.01/2002-03.—In exercise of the powers conferred by Sections 45J, 45K and 45L of Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and all the powers enabling it in this behalf, the Reserve Bank of India being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the "Guidelines for the Issue of Commercial Paper (CP)" issued vide Notification No. IECD/3/08.15.01/2001-02 dated 23rd July, 2001 shall be further amended in the following manner with effect from 29th April, 2003.

Paragraph 18 may be substituted by the following paragraph :

Stand-by facility

In view of CP being a 'stand alone' product, it would not be obligatory in any manner on the part of the banks and FIs to provide stand-by facility to the issuers of CP. Banks and FIs have, however, the flexibility to provide for a CP issue, credit enhancement by way of stand-by assistance/credit, back-stop facility etc. based on their commercial judgement, subject to prudential norms as applicable and with specific approval of their Boards. Non-bank entities including corporates may also provide unconditional and irrevocable guarantee for credit enhancement for CP issue provided:

(i) the issuer fulfils the eligibility criteria prescribed for issuance of CP;

(ii) the guarantor has a credit rating at least one notch higher than the issuer given by an approved credit rating agency; and

(iii) the offer document for CP properly discloses the networth of the guarantor company, the names of the companies to which the guarantor has issued similar guarantees, the extent of the guarantees offered by the guarantor company, and the conditions under which the guarantee will be invoked.

Y. S. P. THORAT, Executive Director

[ADVT/III/IV/38/2003/Exty.]

Printed by the M-

puri, New Delhi-110064
elhi-110054.